№ 3260

सत्यमेव जयते

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 64. वर्ष 1997 - 1998

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि कल्याण सेवा संस्थान, कंकड़बाग.

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख छब्बीस मास अगस्त वर्ष उन्नीस सौ सन्तान्बे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

26.8.97

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIH.

बि०स०मु० (निबन्धन)—II—10,000—25-9-1993—न० शर्मा

Ph. : 0612-2638057
Mob. : 9234713028

KALYAN SEVA SANSTHAN

I.D.H. Colony, East of N.M.C.H. Hospital, Gulzarbagh, Patna – 800 007

Ref. No. KSS/44/2018 Date 27.11.18

To,

I.G of Registration,
Department of registration & prohibition
Govt. of Bihar, Patna.

Sub:- Request to grant permission To charge Executive committee Members & aims & objects in constitution of Kalyan Seva Sansthan.

Sir,

We are forwarding our proposal for grant of constitutional amendment in constitution of Kalyan Seva Sansthan. We have attached here Comparative Constitution, Old Constitution, Copy of Bylaws, Registration Certificate, Copy of Proceeding Register, Authorization Letter, Audit Report & Progress Report for last three years.

We are in acute need for constitutional amendment. Kindly grant us this amendment at your earliest. Attached here is with Treasury Challan Receipt for rupees 15,000/- as processing fee.

With all due regards

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
प्राप्ति एवं वितरण शाखा बिहार, पटना
प्राप्ति की तिथि 30/11/18

Yours faithfully

Dr. U.P. Gupta
Secretary

“कल्याण सेवा संस्थान, कंकड़बाग”

का

पूर्ववत स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम “कल्याण सेवा संस्थान” रहेगा।

2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय -एन0आई0एच0ई0आर0, आई0डी0एच0 कॉलोनी, एन0एम0सी0एच0 हॉस्पीटल के पूर्व, गुलजारबाग, पटना-7 में रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र बिहार एवं झारखंड होगा।

4 संस्था का उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

क- समाज के सर्वांगीण विकास हेतु युवक एवं युवतियों को स्वाबलम्बी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, चित्रकारी गुड़िया निर्माण, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी निःशुल्क देना।

ख- समाज के गरीब निःसहाय युवक / युवतियों को निशुल्क हस्तकला, शिल्पकला, सूचिकला के बारे में जानकारी देना।

ग- महिलाओं के विकास के लिए आंगनबाड़ी एवं बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी कार्यक्रम का आयोजन निःशुल्क कराना।

घ- लोगों को स्वस्थ्य रहने हेतु प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी निःशुल्क देना एवं परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन कराना।

ड.- निरक्षरता उन्मूलन हेतु साक्षरता अभियान चलाना तथा इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वयस्क शिक्षा का आयोजन भी करना।

“कल्याण सेवा संस्थान, कंकड़बाग”

का

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम “कल्याण सेवा संस्थान” रहेगा।

2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय -एन0आई0एच0ई0आर0, आई0डी0एच0 कॉलोनी, एन0एम0सी0एच0 हॉस्पीटल के पूर्व, गुलजारबाग, पटना-7 में रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र बिहार एवं झारखंड होगा।

4 संस्था का उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

क) समाज के विभिन्न वर्गों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, कोपरेटिव जैसे - कि महिला स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, कृषक समूह आदि की स्थापना, संचालन करना अथवा इनमें मदद करना एवं पारंपरिक व्यवसाय जैसे कृषि , पशुपालन, ग्रामिण एवं लघु उधोग (पापड़, बड़ी, ठोंगा, बेत, बांस की टोकरी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, जैम, जेली, आचार) हस्तशिल्प कला (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, काशिदाकारी, पेन्टिग, चित्रकारी, गुड़िया का निर्माण), मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि के बारे में नवीनतम आधुनिक तकनिक, औजार, संसाधन, बाजार, कर्ज एवं वित्तिय संबंधी जानकारी निशुल्क देना।

ख) समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चैरिटेबल हॉस्पीटल, स्वास्थ्य केन्द्र, वातसल्य, शिशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी आयुर्वेदिक हॉस्पीटल, योग केन्द्र, व्यायामशाला आदि स्थापना एवं संचालन करना साथ ही गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों के स्वास्थय के लाभ के लिए एवं विभिन्न जानलेवा बिमारी जैसे- एड्स, टी0बी0, डायरिया, हेपेटाइटिस, कैंसर, नशाखोरी इत्यादि के लिए समय - समय पर निशुल्क जागरुकता शिविर लगाना। अन्य जानलेवा बिमारीयाँ जैसे - मिजलस, ममस, रुबेला, पोलियो, हेप्पाटाइटिस आदि के लिए निःस्वार्थ भाव से टिकाकरण शिविर का आयोजन कराना।

ग) समाज के प्रति जिम्मेदारी का वहन करते हुए समाज में फैले विभिन्न कुरितियाँ एवं बुराईया जैसे - बाल मजदूरी, नशाखोरी, महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलु हिंसा, बाल विवाह, निरक्षरता, जात-पात, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, आदि के निराकरण हेतु समय-समय पर जागरुकता शिविर, वाद-विवाद प्रतियोगिता सभा सम्मेलन गोष्टी आदि का आयोजन करना।

ऊर्जा के संरक्षण हेतु उन्नत चुल्हा, बायोगैस, गोबर गैस, सौर ऊर्जा के बारे मे जानकारी निशुल्क देना एवं प्रचार प्रसार करना।	घ) पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षा रोपन, जल संरक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक मध्यामों से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, पशु पक्षियों के आवास एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं विभिन्न प्रकार के स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर चुल्हा, बायोगैस आदि के बारे में निशुल्क जागरुकता शिविर कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
छ- विकलागों को कृत्रिम अंग, पुनर्वास एवं शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करना।	ड.) समाज के दबे, कुचले, शोषित वर्ग जैसे कि अनाथ बच्चे, महिलायें, वृद्ध, विधवा, विकलांग, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हितो पर विशेष ध्यान देना और उनके मौलिक अधिकारो की रक्षा करना, सामाजिक उत्तपीड़न से बचाना, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, वस्तु, पुर्नवास तथा आश्रय की व्यवस्था करना अथवा करने में सहयोग करना।
ज- बाल श्रमिक एवं बन्धुआ श्रमिक की प्रथा को समाप्त करने के लिए जागृत करना।	
झ- गरीब एवं निःसहाय महिलाओं को एवं पुरुषों को निःशुल्क पापड़, बड़ी, ठोंगा, बेंत की टोकरी, बांस की टोकरी बनाने मोमबत्ती, अगरबत्ती, जाम, जैली, अचार, सेवई बनाने के बारे में निःशुल्क जानकारी देना।	
ञ- ग्रामीण युवक को कृषि से संबंधित आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद के बारे में जानकारी निःशुल्क देना।	च)कृषि विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसे खेती, औषधिक उत्पादन, बागबानी, फूल-सब्जियों का संरक्षण, कम लागत नर्सरी का विकास, मशरुम उत्पादन इत्यादि के कार्यक्रम को संचालित करना एवं इनका प्रशिक्षण देना जिससे छोटे एवं कम पूंजी वाले किसानों को विशेष लाभ हो।
ट- समाज में फैले कुरीतियों के निराकरण हेतु समाज सुधारकों, ग्रामीण जनताओं को जागृत करना एवं संबंधित वाद-विवाद, प्रतियोगिता, सभा, सम्मेलन, गोष्ठि आदि का आयोजन कर समाज में बढ़ रहे अत्याचार, नशाखोरी, बाल विवाह, तिलक -दहेज, नारी-अत्याचार, जुआ के रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना।	
ठ- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क वाद्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक की जानकारी देना।	छ)सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क वाद्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक की जानकारी देना।
ड- लोगों के बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना। ढ़- अनाथालय आश्रम, चेरिटेबुल हॉस्पीटल, हरिजन, आदिवासी आदि आवासीय विद्यालय एवं अन्य प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करना एवं संचालन करना।	ज)लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना तथा अपने संस्थान के जन सेवा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न व्याख्यान, वर्कशॉप, शैक्षणिक भ्रमण, कान्फ्रेन्स आदि का आयोजन करना।

युवक एवं युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु तकनीकी एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, पारा मेडिकल, फार्मेसी, इंजनियरिंग, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पोलीटेक्नीक, स्कूल, इन्टर कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय का संचालन करना।	झ) युवक एवं युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु, उच्च शिक्षा के विभिन्न संकायों जैसे मैनेजमेंट, कंप्यूटर सांइस, पारामेडिकल, फिजियोथेरापी, नर्सिंग, फार्मेसी, कानून, हॉस्पीटैलिटी, डिजाइन, शिक्षा, पत्रकारिता, आर्किटेक्टचर, बायोटेक्नोलॉजी, विदेशी भाषा, पुनर्वास, टेक्नोलॉजी, पालीटेक्निक, डेन्टल, मेडिकल, आयुर्वेद, यूनानी तिब्बी, नैचुरोपैथी, योग, भेटनरी, हॉर्टिकल्चर, कृषि, फाइन आर्टस एवं अन्य उपयोगी विषयों के कॉलेजो एवं विश्वविद्यालय की स्थापना, उन्नति एवं संचालन करना।
त- पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।	
थ- चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना, असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी देना एवं चिकित्सा हेतु जड़ी-बूटी आदि उपलब्ध कराना। योगशाला, व्यायामशाला आदि का संचालन करना।	ञ) जनसाधारण के उपयोग के लिए पार्क, उद्यान, जिम, खेल, धर्मशाला, एवं यात्री विश्राम गृह की स्थापना एवं संचालन करना।
द- राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना एवं संचालित करने में मदद करना।	ट) जनहित में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा अनुदान एवं ऋण प्राप्त कर सर्वांगीण विकास के लिए इनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना एवं संचालित करने में मदद करना।
ध- जनहित में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा अनुदान एवं ऋण प्राप्त कर सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना।	
न- संस्था के विकास हेतु संस्था के जमीन को बंधक तथा बिक्री करने एवं बैंकों से कर्ज लेने का अधिकार संस्था के सर्वसम्मति से होगा।	ठ)संस्था के विकास हेतु संस्था के जमीन को बंधक तथा बिक्री करने एवं बैंकों से कर्ज लेने का अधिकार संस्था के सर्वसम्मति से होगा।
प- लोगों को स्वस्थ रहने हेतु वैकल्पिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, योग आदि प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी देना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं एड्स, टी0बी0, डायरिया आदि जैसी घातक बीमारियों के प्रति जागरुकता के लिए शिविर का आयोजन कराना।	
फ- समाज में फैले कुरीतियों के निराकरण हेतु लोगों को जागरुक करना और उससे संबंधित वाद-विवाद, प्रतियोगिता, सभा, सम्मेलन, गोष्ठि आदि का आयोजन कर समाज में बढ़ रहे बाल, वृद्धों एवं स्त्रियों के प्रति अत्याचार, नशाखोरी, जुआ, बाल मजदूरी, गर्भ हत्या आदि की रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना।	-
ब- सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, एन0जी0ओ0, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों से जानकारी, नोटिस नॉटिफिकेशन, पॉलिसी आदि को एकत्र करना और उसकी जानकारी को सोसाइटी के सदस्यों और आम जनता के बीच प्रचार करना।	ड) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, एन0जी0ओ0, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों से जानकारी, नोटिस नॉटिफिकेशन, पॉलिसी आदि को एकत्र करना और उसकी जानकारी को सोसाइटी के सदस्यों और आम जनता के बीच प्रचार करना।

सदस्यता शुल्क, सब्सक्रिप्शन, शिक्षा शुल्क, अनुदान, पुरस्कार, डोनेशन, भेंट और अन्य दानों को जो चल या अचल सम्पत्ति के रुप में है, उन्हें संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीकार करना।	ढ)सदस्यता शुल्क, सब्सक्रिप्शन, शिक्षा शुल्क, अनुदान, पुरस्कार, डोनेशन, भेंट और अन्य दानों को जो चल या अचल सम्पत्ति के रुप में है, उन्हें संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीकार करना।
म- संस्था की किसी भी सम्पत्ति जो भूमि हो या भवन, उसे संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका निर्माण, मरम्मत, तोड़ना, बेचना, लीज करना, मोर्गेज करना, ट्रांसफर करना, सुधारना, विकास करना, प्रबंधन और नियंत्रण कर सकता है।	ण)संस्था की किसी भी सम्पत्ति जो भूमि हो या भवन, उसे संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका निर्माण, मरम्मत, तोड़ना, बेचना, लीज करना, मोर्गेज करना, ट्रांसफर करना, सुधारना, विकास करना, प्रबंधन और नियंत्रण कर सकता है।
य- संस्था के अलग-अलग कार्यों की आवश्यकतानुसार पुस्तकों, चार्ट, चित्रों, जर्नल, मैग्जीन, पीरियोडिकल, न्यूजलेटर एवं अन्य प्रकाशनीय वस्तुओं का प्रकाशन करना।	त) संस्था के अलग-अलग कार्यों की आवश्यकतानुसार पुस्तकों, चार्ट, चित्रों, जर्नल, मैग्जीन, पीरियोडिकल, न्यूजलेटर एवं अन्य प्रकाशनीय वस्तुओं का प्रकाशन करना।
	थ)ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, आम आदमी के कल्याण और विकास के लिए बिना किसी जाति, धर्म, विचारधारा, भाषा, लिंग एवं अन्य तरीके से भेदभाव किए हुए अवैतनिक सेवा प्रदान करना।
	द)जरुरतमंद लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक उन्नति के लिए सहयोग करना।
	ध) गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप आदि के रुप में आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा शिक्षा, कला, विज्ञान, एवं खेल-कूद में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करना, उनका उत्साहवर्धन करना एवं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए उचित मार्गदर्शन करना।
	न)सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा करना एवं म्यूजियम बना कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
	प) बाढ़, आग, अकाल, भूकंप एवं अन्य आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए तत्काल राहत की व्यवस्था करना एवं इनसे बचने के लिए प्रशिक्षण देना।

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार दिया गया है, जो निम्नलिखित है।

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	
1	उषा देवी	पताः संबोधित गोपी कृष्ण साह, लाल इमली गौरया स्थान, पटना सिटी, सम्पतचक, बेगमपुर, पटना, बिहार, 800009	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	डा0 उमेश गुप्ता पिता–स्व0 देवनाथ गुप्ता	34,सादिकपुर, गुलजारबाग शहर/गाँव–पटना सिटी अंचल–पटना सदर जिला–पटना	समाज सेवा	सचिव	
3	बबलू कुमार	आत्मज शालिग्राम लाल, वार्ड नं0 14, रामचरण टोला, मोकामा, पटना, बिहार–803302	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	प्रवीण कुमार पिता–स्व0 गनौरी प्रसाद	हाऊस नं0–163 डी0 ब्लौक, स्ट्रीट नं0–2, फेस–4, शिव विहार, करावल नगर, यमुना विहार, दयालपुर उत्तर पूर्व, दिल्ली–110094	समाज सेवा	सदस्य	

5	शेखर सुमन पिता - केदारनाथ चौधरी	नेहरुचक बडी पटनदेवी गढ़हापर, गुलजारबाग, पटना	समाज सेवा	सदस्य	
6	मनीष कुमार	अनिल कुमार यादव, पादरी की हवेली, रुस्तम पीर की गली, पटना सिटी, पटना, बिहार, 800008	समाज सेवा	सदस्य	
7	परमानन्द साव उर्फ जगदीश शाह	59 ग, मोकामा, म्युनिशीपलिटी शहर/गाँव - मोकामा अंचल - मोकामा जिला - पटना - 803302	समाज सेवा	सदस्य	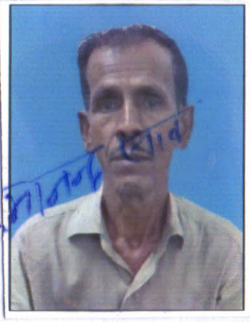

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

आयकर विभाग　　भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT　　GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड

Permanent Account Number Card

DAKPD0008N

नाम / Name

USHA DEVI

पिता का नाम / Father's Name

BINDA SAW

जन्म की तारीख / Date of Birth

01/01/1968

उषा देवी

हस्ताक्षर / Signature

19042017

उषा देवी

[redacted]

आधार

पता: संबोधित: गोपी कृष्ण साह
लाल इमली गौरैया स्थान, गौरैया स्थान
पटना सिटी, सम्पतचक, बेगमपुर, पटना
बिहार, 800009

Address: W/O: Gopi Krishna Shah, lal imli gauraiya ASTHAN, gauraiya asthan, patna city, Sampatchak, Patna, Begampur, Bihar, 800009

3327 6761 0580

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

[redacted]

उषा देवी
Usha Devi

जन्म तिथि / DOB: 01/01/1968
महिला Female

3327 6761 0580

आधार - आम आदमी का अधिकार

उषा देवी
Usha devi

उषा देवी ... Usha devi

भारत सरकार

Government of India

उमेश प्रसाद गुप्ता

Umesh Prasad Gupta

जन्म तिथि / DOB : 15/08/1962

पुरुष / Male

2867 4381 1967

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: स्व देवनाथ गुप्ता, रमना विद्यालय के पास, ईदगाह रोड भदरघाट, सम्पतचक, पटना, गुलज़ारबाग, बिहार, 800007

Address:
S/O: Late Devnath Gupta, near ramna school, idgah road bhdraghat, Sampatchak, Patna, Gulzarbagh, Bihar, 800007

2867 4381 1967

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

ABPPG0741C

नाम /NAME

UMESH PRASAD GUPTA

पिता का नाम /FATHER'S NAME

DEONATH PRASAD GUPTA

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

28-03-1961

हस्ताक्षर /SIGNATURE

आयकर आयुक्त (सी.ओ.) पटना

COMMISSIONER OF I-TAX (CO) PATNA

इस कार्ड के खो / मिल जाने पर कृपया जारी करने
वाले प्राधिकारी को सूचित / वापस कर दें
आयकर आयुक्त, पटना,
केन्द्रीय राजस्व भवन,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना - 800 001.

In case this card is lost/found, kindly inform/return to
the issuing authority :
Commissioner of Income Tax (CO)
Central Revenue Building
Bir Chand Patel Marg
PATNA - 800 001

भारत सरकार

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 1457/80018/01063

To
बबलु कुमार
Babiu Kumar
S/O: Shaligram Lal
Ward 14
ramcharan Tola
Mokameh
Mokama
Mokameh Patna
Bihar 803302
7739484342

22/07/2016
275451049

MP754510496FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

6103 1272 7660

आधार - आम आदमी का अधिकार

Government of India [illegible]

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं ।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship .
- To establish identity, authenticate online .

- आधार देश भर में मान्य है ।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा ।
- Aadhaar is valid throughout the country .
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future .

भारत सरकार
Government of India

बबलु कुमार
Bablu Kumar
जन्म तिथि / DOB : 02/05/1970
पुरुष / Male

6103 1272 7660

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: शालिग्राम लाल, वॉर्ड 14, रामचरण टोला, मोकामेह, पटना, मोकामा, बिहार, 803302

Address:
S/O: Shaligram Lal, Ward 14, ramcharan Tola, Mokameh, Patna, Mokama, Bihar, 803302

6103 1272 7660

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

बबलु कुमार
बबलु कुमार

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

BABLU KUMAR

SHALIGRAM LAL

02/05/1970

Permanent Account Number
AFHPK0482Q

बबलु कुमार

Signature

28072010

बबलु कुमार

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं :
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
तीसरी मंज़िल, सफायर चेम्बर्स,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नज़दीक,
बानेर, पुणे - 411 045.

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No 1190/90589/00147

To,
प्रवीण कुमार
Praveen Kumar
S/O Ganori Prasad
h. no.163 0 block
street no. 2 phess 4
shiv vihar karawal nagar
YAMUNA VIHAR
Dayalpur North East
Delhi 110094

25/11/2011

Ref: 173 / 25E / 260313 / 260317 / P

UE512416389IN

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8006 8850 8526

आधार – आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

प्रवीण कुमार
Praveen Kumar
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1970
पुरुष / Male

8006 8850 8526

आधार – आम आदमी का अधिकार

P. Kumar

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
PRAVEEN KUMAR
GHAURI PRASAD
22/01/1970
Permanent Account Number
APXPK4559E
Signature

[redacted]

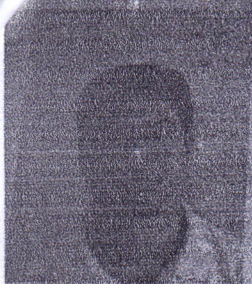

शेखर सुमन
Shekhar Suman
जन्म तिथि/ DOB:
14/01/1991
पुरुष / MALE

8316 4534 8316

मेरा आधा[illegible] मेरी पहचान

AADHAAR

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
[redacted] AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: केदार नाथ चौधरी, बड़ी पटनदेवी, गडहा मंदिर, पटना सिटी, गुलज़ारबाग, पटना, बिहार - 800007

Address:
S/O: Kedar Nath Choudhary, BADI PATANDEVI, GARHA MANDIR, PATNA CITY, Gulzarbagh, Patna, Bihar - 800007

8316 4534 8316

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Shekhar Suman

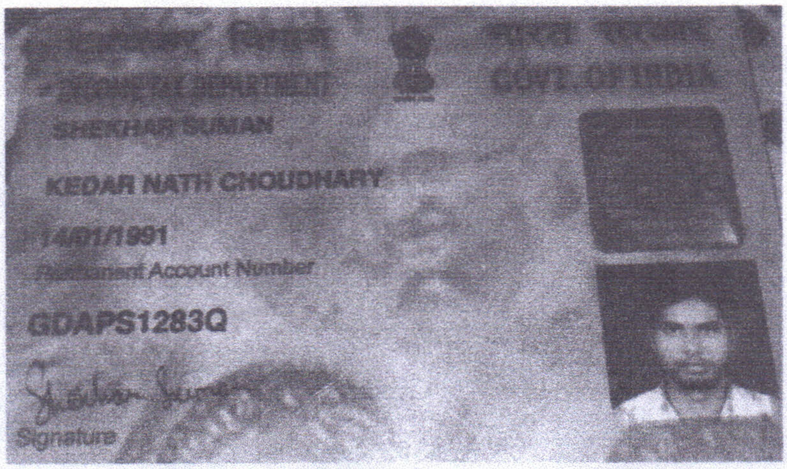

Shekhar Suman

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मनीष कुमार
Manish Kumar
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1993
पुरुष / Male

2536 1795 4711

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O अनिल कुमार यदव, पादरी की हवेली, रुस्तम पीर की गली, पटना सिटी, पटना सिटी, पटना, बिहार, 800008

Address:
S/O Anil Kumar Yadav, padri ki haweli, rustam pir ki gali, Patna City, Patna City, Patna, Bihar, 800008

Manish Kumar

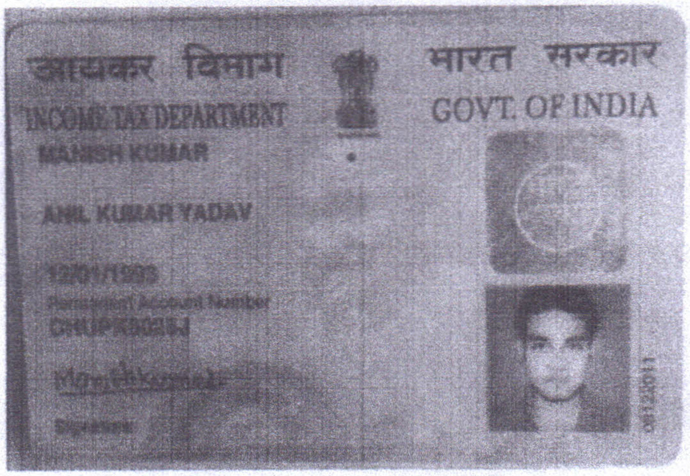

Manish Kumar

[redacted]

[redacted]

जगदीश शाह

Jagdish Sha

जन्म तिथि/ DOB: 10/12/1960

पुरुष / MALE

3992 7304 7183

आधार-आम आदमी का अधिकार

[redacted] प्राधिकरण

[redacted] OF INDIA

पता:

गणेश लाल रोड, दीघा घाट, आदिती सिंगार विद्यार्थी मार्केट, दीनापुर कम खगौल, पटना, बिहार - 800011

Address:

GANESH LAL ROAD, DIGHA GHAT, AADITI SRINGAR VIDHAYARTHI MARKET, Dinapur-Cum-Khagaul, Patna, Bihar - 800011

3992 7304 7183

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

परमानन्द साव

संचिका संख्या–बी0एस0–3–103.67/96 पत्रांक 512 दिनांक 29-4-15

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को

अभिलिखित करने का प्रमाण–पत्र

"कल्याण सेवा संस्थान कंकड़बाग" के संबंध में।

(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख संस्था निबंधन अधिनियम– 21,1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना/ (पूर्व नाम "कल्याण सेवा संस्थान कंकड़बाग" .... निबंधन संख्या 64/97-98 वर्ष

परिवर्तन नाम कल्याण सेवा संस्थान पता परिवर्तन की सूचना) पूर्व पता विद्यापुरी, कंकड़बाग, पटना/ परिवर्तित पता– नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, आई॰डी॰एच कोलनी, पो॰ गुलजारबाग, पटना-800007 संशोधित स्मृति–पत्र (नया कार्यालय एवं नई कार्यकारिणी, नये उद्देश्य के साथ)/ संशोधित नियमावली (नया नाम के साथ)/ आमसभा के दिनांक 20.4.2014 एवं दिनांक 22.5.14 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

[signature] 28/04/15

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,

बिहार, पटना।

सेवा में,

डा॰ उमेश गुप्ता, सचिव, "कल्याण सेवा संस्थान"
नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड
रिसर्च, आई॰डी॰एच॰ कोलनी, पो॰
गुलजारबाग, पटना - 800007

को उनके आवेदन/पत्रांक–––––––– दिनांक 26.11.14 के प्रसंग में अग्रसारित।
कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

[signature] 28/04/15

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,

बिहार, पटना।

" कल्याण सेवा संस्थान, कंकड़बाग "

का

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम " **कल्याण सेवा संस्थान** " **रहेगा ।**

2. निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय– नेशनल वाये मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल के मकान में मुहल्ला– विद्यापुरी, –21, कंकडबाग, पटना–20 में रहेगा ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. संस्था का उद्देश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

क– समाज के सर्वांगीण विकास हेतु युवक एवं युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, चित्रकारी गुड़िया निर्माण, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी निःशुल्क देना ।

ख– समाज के गरीब निःसहाय युवक/ युवतियों को निःशुल्क हस्तकला, शिल्पकला, सूचिकला के बारे में जानकारी देना ।

ग– महिलाओं के विकास के लिए आंगनबाड़ी एवं बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी कार्यक्रम का आयोजन निःशुल्क करना ।

घ– लोगों को स्वास्थ्य रहने हेतु प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी निःशुल्क देना एवं परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन ।

च– निरक्षरता उन्मूलन हेतु साक्षरता अभियान चलाने का प्रयास करना तथा इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना यथा वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन करना ।

छ– ऊर्जा के संरक्षण हेतु उन्नत चुल्हा, बायोगैस, गोबर गैस, सौर उर्जा के बारे में जानकारी निःशुल्क देना एवं प्रचार–प्रसार करना ।

ज– विकलांगों को कृत्रिम अंग, पुर्नवास एवं शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

झ– बाल श्रमिक एवं बन्धुआ श्रमिक की प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को जागृत करना ।

ट– गरीब एवं निःसहाय महिलाओं को एवं पुरूषों को निःशुल्क पापड़, बड़ी, ठोंगा, बेंत की टोकरी, बांस की टोकरी, बनाने, मोमबती अगरबत्ती, दियासलाई, जाम जैली, आचार, सेवई, बनाने के बारे में निःशुल्क जानकारी देना ।

ठ– ग्रामीण कृषक को कृषि से संबंधित आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद के बारे में जानकारी निःशुल्क देना ।

ड– समाज में फैले कुरीतियों के निराकरण हेतु समाज सुधारकों, ग्रामीण जनताओं को जागृत करना एवं संबंधित वाद विवाद, प्रतियोगिता सभा सम्मेलन, गोष्टि का आयोजन कर समाज में बढ़ रहे अत्याचार नशाखोरी, बाल विवाह, तिलक–दहेज, नारी अत्याचार, जुआ के रोक थाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना ।

ण– सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निःशुलक वाद्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक की जानकारी देना ।

त– लोगों के बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

थ– अनाथालय आश्रम, चेरिटेबुल हॉस्पीटल, हरिजन, आदिवासी आदि आवासीय विद्यालय एवं अन्य प्रकार क शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करना एवं संचालन करना ।

द– युवक एवं युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु तकनीकी एवं अन्य रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, पारा मेडिकल, फार्मेसी, इंजनियरिंग, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज,मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पोलीटेक्नीक, स्कूल, इन्टर कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय का संचालन करना ।

ध– पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । वन एवं वन्य प्राणियों के रक्षार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना ।

न– चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना, असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी देना एवं चिकित्सा हेतु जड़ी बुटी आदि उपलब्ध कराना । योगशाला व्यायामशाला आदि का संचालन करना ।

प– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संस्था संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना एवं संचालित करने में मदद करना ।

फ– समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सभा सम्मेलन, गोष्टि का आयोजन करना ।

ब– जनहित में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, गैर सरकारी संस्था द्वारा अनुदान एवं ऋण प्राप्त कर सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना ।

भ– संस्था के विकास हेतु संस्था के जमीन को बंधक तथा बिक्री करने एवं बैंकों से कर्ज लेने का अधिकार संस्था के सर्वसम्मति से होगा ।

म– लोगों के स्वस्थ रहने हेतु वैकल्पिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, योग आदि प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी देना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं एड्स, टी0बी0 डायरिया आदि जैसी घातक बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन कराना ।

य- समाज में फैले कुरीतियों के निराकरण हेतु लोगों को जागरूक करना और उससे संबंधित वाद-विवाद, प्रतियोगिता, सभा, सम्मेलन, गोष्ठि आदि का आयोजन कर समाज में बढ रहें बाल, वृद्धों एवं स्त्रियों के प्रति अत्याचार, नशाखोरी, जुआ, बाल मजदूरी, गर्भ हत्या आदि की रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना ।

र- सरकारी, अर्द्ध सरकारी एन0जी0ओ0 राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों से जानकारी, नोटिस नॉटिफिकेशन, पॉलिसी आदि को एकत्र करना और उसकी जानकारी को सोसाइटी के सदस्यों और आम जनता के बीच प्रचार करना ।

ल- सदस्यता शुल्क, सब्सक्रिपशन, शिक्षा शुल्क, डोनेशन, अनुदान, पुरस्कार, भेट और अन्य दानों को जो चल या अचल सम्पत्ति के रूप में है उन्हें संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के स्वीकार करना ।

व- संस्था की किसी भी सम्पत्ति जो भूमि हो या भवन, उसे संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका निर्माण, मरम्मत, तोड़ना, बेचना, लीज करना, मोर्गेज करना, ट्रांसफर करना, सुधारना, विकास करना, प्रबंधन और नियंत्रण कर सकता है ।

श- संस्था के अलग-अलग कार्यो की आवश्यकतानुसार पुस्तकों, चार्ट, चित्रों, जर्नल मैग्जीन, पीरियोडिकल, न्यूजलेटर एवं अन्य प्रकाशनीय वस्तुओं का प्रकाशन करना ।

....

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भा

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	
1	माया कुमारी पिता–स्व0 भगवान दास	ग्राम+पो0– सकसोहरा जिला– पटना	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	डा0 उमेश गुप्ता पिता–स्व0 देवनाथ गुप्ता	34, सादिक पुर गुलजारबाग शहर/गॉव– पटना सिटी अंचल– पटना सदर जिला– पटना	समाज सेवा	सचिव	
3	परमानन्द साव पिता– भदई साव	59 ग, मोकामा म्युनिसीपलिटी शहर/गॉव– मोकामा अंचल– मोकामा, जिला– पटना	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	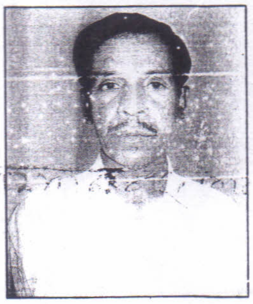
4	प्रवीण कुमार पिता–स्व0 गिनौरी राम	ग्राम+पो0– कुर्मीचक जिला– पटना	समाज सेवा	सदस्य	

5	अजय कुमार सिंह पिता–विन्धाचल प्रसाद सिंह	ग्राम–बनगामां पो0–खुरन्डा थाना– सिमुलतला जिला–जमुई	समाज सेवा	सदस्य	
6	शेखर सुमन पिता–केदारनाथ चौधरी	नेहरूचक बडी पटनदेवी गढहापर गुलजारबाग, पटना–7	समाज सेवा	सदस्य	
7	अजय गुप्ता पिता– कृष्णनन्दन प्रसाद	ग्राम+पो0– घोसवरी जिता– पटना	समाज सेवा	सदस्य	

****

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

137

" कल्याण सेवा संस्थान, कंकड़बाग "
की
संशोधित नियमावली

1. **परिभाषा**

क-	संस्था से अभिप्राय है	:-	" कल्याण सेवा संस्थान "
ख-	समिति से अभिप्राय है	:-	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग-	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:-	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ-	वर्ष से अभिप्राय है	:-	01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।
ड-	एक्ट से अभिप्राय है	:-	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2

2. **सदस्यता**

प्रत्येक व्यक्ति स्त्री या पुरूष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो, जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो एवं संस्था के प्रति आस्था रखते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 200/- रूपया प्रवेश शुल्क एवं 100/- रू0 मासिक सदस्यता शुल्क के रूप में देना अनिवार्य होगा ।

3. **सदस्यता की समाप्ति :-**

निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है ।

क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख- पागल या दिवालिया होने पर ।

ग- लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

घ- बिना कारण बताये समिति को लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

ङ- संस्था के प्रति गलत आचरण करने पर ।

च- संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर ।

छ- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

ज- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

क- कार्यकारिणी समिति 8 सदस्यों की होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव एक कोषाध्यक्ष एवं चार कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

ख- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा ।

ग- समिति का कार्यकाल 5 वर्षो की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में इसका विधिवत चुनाव करा लेना होगा । मनोनीत सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो ।

5. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- आवश्यकता पड़ने पर अपनी निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना ।

ग- कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

घ- कर्मचारियों की नियुक्ति में सचिव को सहायता करना ।

सचिव :-

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना ।

घ- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ङ- संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण कराना ।

च- आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना पूर्व अनुमति के 500/- रू0 तक व्यय करना ।

छ- अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :-

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी निर्धारित बैंक या डाकघार में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर जमा करना तथा रकम की निकासी उनमें से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से करना जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिाकार एवं कर्त्तव्य :-**

क- संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ- शाखा या उप शाखा का गठन करना ।

ङ- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन अर्जित करना ।

7. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृत देना ।

ग- अंकेक्षण की नियुक्ति करना ।

घ- अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. **बैठक :-**

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में होगी ।

ख- आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रील माह में होगी ।

ग- अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9. **प्रार्थित बैठक :-**

3/5 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते है ।

10. **बैठक की सूचना :-**

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी ।

ख- आम सभा की साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।

ग- आवश्यक बैठक की सूचना 46 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

11. **कोरम :-**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 3/5 होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

12. **आय का श्रोत :-**

क- प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक शुल्क ।

ख- सरकारी अनुदान ।

ग- प्रदर्शनी द्वारा ।

घ- संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा ।

13. **निधि का अंकेक्षण :-**

संस्थ की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सीा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा कराया जायेगा । निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने स्वयं विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है, इस हेतु चाटर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था की सभी पंजियॉ निर्बंधित कार्यालय में रहेगी जहॉ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

15. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

16. **कानूनी कार्रवाई :-**

संस्था पर या संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी लेकिन अधिवक्ता की नियुक्ति में समिति की सलाह अवश्यक होगी ।

17. **विघटन :-**

क- संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पडे तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख- विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों के बीच से समान उद्देश्यवाली किसी दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी तथा संस्था का विघटन राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ही किया जायेगा ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

"कल्याण सेवा संस्थान"
(पटना) निबंधन संख्या - 64/97-98
II आम सभा का प्रस्ताव, स्मृति पत्र
एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि।
28/04/15
वास्ते नि० महा०

28/04/15

16. **कानूनी कार्रवाई :-**

संस्था पर या संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी लेकिन अधिवक्ता की नियुक्ति में समिति की सलाह अवश्यक होगी ।

17. **विघटन :-**

क- संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पडे तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख- विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों के बीच से समान उद्देश्यवाली किसी दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी तथा संस्था का विघटन राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ही किया जायेगा ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

"कल्याण सेवा संस्थान"
(पटना) निबंधन संख्या - 64/97-98
II आम सभा का प्रस्ताव, स्मृति पत्र
एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि।
28/04/15
वास्ते नि० महा०

28/04/15

UDISE. 10371918802